प्रेषक,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
जी0टी0 रोड, कानपुर।

सेवा में,

उप श्रम आयुक्त,
सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, वाराणसी,
आगरा, गाजियाबाद एवं पिपरी सोनभद्र।

पत्र संख्या 626-642 / एस0आर0सी0(बी0एल0) / 2023–24 दिनांक 11/10 / 2023

विषय : वित्तीय वर्ष 2023–24 में नवीन बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत अवमुक्त बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु धनराशि धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासनादेश संख्या 08 / 2023 / 708 / 003–01बी 2023, दिनांक 08 अगस्त, 2023 द्वारा बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना, 2016 के अन्तर्गत प्रदेश के बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु धनराशि रू0 2500.00 लाख (पच्चीस करोड़ मात्र) स्वीकृत किया गया है तथा पत्र में उक्त धनराशि व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल एवं फाईनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता हो, उनसे व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लिये जाने के निर्देश भी दिए गए है। साथ ही अन्य दिशा–निर्देश के साथ व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कि गयी है। अतः उक्त धनराशि का उपभोग बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु किया जाएगा। इस हेतु व्यय अधोलिखित लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा, जिसका कोषागार से आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो निम्नवत् है:–

लेखा शीर्षक :

अनुदान संख्या–76

2230	– श्रम, रोजगार और कौशल विकास
01	– श्रम
103	– सामान्य श्रम कल्याण
01	– केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
03	– बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना–2016 (के.100 / रा0–के0)
42	– अन्य व्यय,

क्र0	जनपद का नाम	आहरण एवं वितरण अधिकारी	प्राप्त कराये गये पुनर्वासन पैकेज का सन्दर्भ	पुनर्वासन हेतु बंधुआ श्रमिकों की संख्या	धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	भदोही	उप श्रम आयुक्त, मिर्जापुर क्षेत्र, पिपरी सोनभद्र	प.स.–406–08 / दि–28.03.2023 द्वारा 02 पैकेज, के0सं0–24570 / 24 / 73 / 2013 बी0एल0 / ओसी प.स.–406–08 / दि–28.03.2023 द्वारा 12 पैकेज, के0सं0–15143 / 24 / 16 / 2019 बी0एल0 / ओसी	14 (पु0–7, म0–7)	21.00
2.	सहारनपुर	उप श्रम आयुक्त, सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर	प.सं.–1241 / दि–27.02.2023 द्वारा 02 पैकेज के0सं0–4792 / 24 / 64 / 2015 बीएल / यू0सी0 प.सं.–1304 / दि–01.03.2023 द्वारा 10 पैकेज के0सं0–5526 / 24 / 64 / 2016 बीएल / ओ0सी0 प.सं.–1188 / दि–25.02.2023 द्वारा 03 पैकेज के0सं0–17413 / 24 / 8 / 2013बी0एल0 / यू0सी0 पं0 सं0 4307 / दि– 27.07.2023 द्वारा 10 पैकेज के0सं–08414 / 24 / 64 / 2016–बी0एल0 / यूसी0	40 (पु0–25, म0–15)	47.60

			पं0स0 4766 / दि–17.08.2023 द्वारा 5 पैकेज के0सं0–8233 / 24 / 64 / 2018–बी0एल0 / यू0सी0		
3.	शामली	उप श्रम आयुक्त, सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर	प.सं.–370 / दि–06.05.2023 द्वारा 10 पैकेज के0सं0–5526 / 24 / 64 / 2016 बीएल / ओ0सी0 प.सं.–371 / दि–06.05.2023 द्वारा 09 पैकेज के0सं0–7646 / 24 / 54 / 2017 बीएल / यू0सी0	19 (पु0–11, म0–08)	25.00
4.	मुजफ्फरनगर	उप श्रम आयुक्त, सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर	प.सं.–4336 / दि–19.09.2023 द्वारा 05 पैकेज के0सं0–15709 / 24 / 08 / 2019 बीएल	05 (पु0–03, म0–02)	5.50
5.	सम्भल	उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद	प.सं.–408–12 / दि–20.03.2023 द्वारा 04 पैकेज के0सं0–5844 / 24 / 62 / 2016–बीएल / ओसी	04 (पु0–02, म0–02)	06.00
6.	रामपुर	उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद	प.सं.–201–03 / दि–14.02.2023 द्वारा 03 पैकेज के0सं0–2506 / 24 / 54 / 2014–बी0एल0 / ओ0सी0	03 (पु0–02, म0–01)	04.00
7.	बदायूँ	उप श्रमायुक्त, बरेली क्षेत्र, बरेली	प.सं.–1029–33 / दि–26.04.2023 द्वारा 07 पैकेज के0सं0–44448 / 24 / 54 / 2014– बी0एल0 / यू0सी0	07 (पु0–03, म0–04)	11.00
8.	कासगंज	उप श्रमायुक्त, अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़	प0सं0–175–78 / दि–22.02.2023 द्वारा 10 पैकेज के0सं0–15969 / 24 / 22 / 2014 बीएल पं0सं0– 597–599 / दि–26.12.2019 द्वारा 03पैकेज के0स0–1172 / 24 / 8 / 2015–बी0एल0	13 (पु0–08, म0–05)	16.00
9.	अलीगढ़	उप श्रमायुक्त, अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़	पं0स0 2990 / दि– 09.08.2023 द्वारा 02 पैकेज के0सं0 878 / 19 / 19 / 2017 बी0एल0 / यूसी0	02 (पु0–01, म0–01)	2.60
10.	एटा	उप श्रमायुक्त, अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़	पं.0सं0– 422 / दि–28.12.2022 द्वारा 02 पैकेज के0सं0–16766 / 24 / 51 / 017 बी0एल0 / यू0सी0	02 (पु0–01, म0–01)	2.60
11.	चन्दौली	अपर श्रमायुक्त, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी	प.सं0–397–399 / दि–14.02.2023 द्वारा 03 पैकेज के0सं0–03334 / 2018	03 (पु0–03, म0–00)	03.00
12.	मथुरा	उप श्रमायुक्त, आगरा क्षेत्र, आगरा	प.सं0–3250–51 / दि–14.09..2023 द्वारा 04 पैकेज के0सं0–2142 / 7 / 22 / 2015 के0सं0–4963 / 7 / 22 / 2014	04 (पु0–02, म0–02)	06.00
13.	आगरा	उप श्रमायुक्त, आगरा क्षेत्र, आगरा	प.सं0–1785 / दि–21.02.2023 द्वारा 06 पैकेज के0सं0–2799 / 24 / 22 / 2017–बी0एल0 / यू0सी0	06 (पु0–06, म0–00)	06.00
14.	गाजियाबाद	उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद	पं0सं0–5135 / दि–19.06.2023 द्वारा 01 पैकेज के0सं0–7646 / 24 / 54 / 2017 बी0एल0 / यू0सी0	01 (पु0–00, म0–01)	02.00
		योग		123	158.3

(रू0 एक करोड़ अठ्ठावन लाख तीस हजार मात्र)

2– आपके क्षेत्रान्तर्गत पुनर्वासन योग्य बंधुआ श्रमिकों में जिन बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन पैकेज प्रेषित किए गये हों उन्हें नवीन बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना, 2021 में तथा समय–समय पर जारी संशोधनों में दी गयी व्यवस्थानुसार पुनर्वासित कराना सुनिश्चित करें।

3– ऐसे बंधुआ श्रमिक जो कि बंधुआ श्रम पुनर्वासन–2016 नवीन योजना के प्रारम्भ होने की दिनॉक–17 मई, 2016 अथवा उसके बाद अवमुक्त कराये गये हों उनका पुनर्वासन इस धनराशि से कराया जाये।

4– उक्त आवंटित धनराशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी प्रतिपूर्ति की मॉग इसी वित्तीय वर्ष में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार से कि जानी है। अतः आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– उक्त आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण शासनादेश में निहित निर्देशों व वित्तीय नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

6– बंधुआ श्रमिक पुनर्वासन की आवंटित धनराशि **रू0 158.3 लाख** का व्यय उपरोक्त वर्णित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जायेगा। आवंटित धनराशि को व्यय करने में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 02/2023/बी0–01–227/दस–2023–231/2023, दिनांक 17.03.2023 के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– आवंटित की गयी धनराशि का व्यय विवरण बी0एम0–04, पर प्रत्येक अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

8– उपरोक्त धनराशि इस शर्त के अधीन आवंटित की गयी है कि स्वीकृत व्यय को पूरा करने के लिए धनराशि का विनियोजन आय–व्ययक नियम संग्रह (बजट मैनुअल) से सम्बन्धित नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों द्वारा नियंत्रित होगी एवं आवंटित धनराशि का व्यय मितव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर जारी होने वाले शासनादेशों को ध्यान में रखकर किया जाय और आवंटित धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। उक्त के साथ ही धनराशि आवंटन की प्रत्याशा में कोई आहरण नहीं किया जायेगा। उपरोक्त आहरित की जाने वाली धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत उपयोग कर उसकी सूचना/उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

9– पुनर्वासित कराये जाने वाले बंधुआ श्रमिकों की उपलब्ध करायी गयी धनराशि की प्राप्ति व वितरण का पूर्ण विवरण प्रत्येक दशा में धनराशि प्राप्त होने के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10– पुनर्वासित कराए जाने वाले बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन कराते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि उक्त बंधुआ श्रमिक को पूर्व में तो पुनर्वासित नहीं कराया गया है। इस तथ्य की पुष्टि करने के पश्चात् ही बंधुआ श्रमिक को पुनर्वासित कराया जाय। प्रत्येक दशा में 'बंधुआ श्रम पुनर्वासन' योजनान्तर्गत बंधुआ श्रमिक का पुनर्वासन केवल एक बार ही होना है।

11– अवमुक्त प्रमाण पत्रों/पुनर्वासन पैकेजों में उल्लिखित बंधुआ श्रमिकों के नाम/पतों के अनुरूप ही बंधुआ श्रमिकों द्वारा खुलवाए गये बैंक खातों में उल्लिखित नाम/पतों का मिलान कराने के उपरान्त ही बैंक खातों में पुनर्वासन सम्बन्धी एकाउण्ट पेयी ट्रेजरी चैक/बैंक ड्राफ्ट की धनराशि को जमा कराना सुनिश्चित करें।

12– अवमुक्त कराए गये बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन पूर्व में ही काफी विलम्बित हो चुका है और प्रत्येक दशा में यथा शीघ्र इन बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित कराया जाना अपरिहार्य है, ताकि शासन/भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का समय से उपयोग हो सके और उपयोग न करने की दशा में समर्पण की स्थिति उत्पन्न न हो। अगर इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो कृपया तत्काल अपर श्रमायुक्त, बंधुआ श्रम, मुख्यालय से सम्पर्क करें।

भवदीय,

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
दिनांक 11/10 /2023

पत्र संख्या 626–642/एस0आर0सी0(बी0एल0)/2023–24

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संबंधित जिलाधिकारी।

2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3– मुख्य कोषाधिकारी, ...को अवगत कराना है कि अपर/उप श्रमायुक्त, ...को सम्मिलित करते हुये आपके कोषागार में उक्त आहरण एवं को आवंटित धनराशि रूपये..........................हो जायेगा। वितरण अधिकारी के आयोजनागत पक्ष का प्रगामी योग रूपये..........................

4– अपर मुख्य सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–4, बापू भवन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या 08/2023/708/003–01 बी 2023, दिनांक 08 अगस्त, 2023 के कम में सूचनार्थ।

5– निदेशक कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

6– बजट अनुभाग (लेखा सामान्य), मुख्यालय, कानपुर।

7– अपर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, (बंधुआ श्रम) एवं अपर श्रमायुक्त, (नियोजन), मुख्यालय, कानपुर।

8– आवंटित धनराशि का अंकन वित्तीय वर्ष 2023–24 के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या..........पर कर लिया गया है। आवंटन आदेश संख्या– 001-SRC BL 2023-24 दिनॉक– 11-10-2023 की सेन्ट्रल सर्वर से निकाली प्रति भी संलग्न है।

संलग्नः–यथोक्त।

(साहित्य कुमार कटियार)
वित्त नियंत्रक (श्रम)।